उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए हैं–

1) समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों का विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करता है।
2) समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट तथा सामान्य बालक एक–दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है।
3) विशिष्ट अयोग्य तथा सामान्य बालकों को शैक्षिक अनुभवों में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त होते हैं।
4) विशिष्ट तथा सामान्य अयोग्य बालक अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ बिना किसी विशिष्टता के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है।
5) यह समावेशी के सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात् सभी बालक अपनी विशिष्टताओं और अयोग्यताओं के साथ भी बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालयों तथा कक्षाओं में शिक्षा लेने के योग्य हैं।
6) समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों को जीवन जीने की कला तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती है।

1.1.3. समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया (Process of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा में चार मुख्य प्रक्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं ये चारों प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित हैं–

1) मानकीकरण (Normalisation),
2) संस्थारहित शिक्षा (Deinstitutionalised Education),
3) शिक्षा की मुख्य धारा (Mainstream of Education) एवं
4) समावेशन (Inclusion)

1) **मानकीकरण (Normalisation)**–मानकीयकरण या सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है ज प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहाँ तक सम्भव हो कार्य सीखने के लि सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। अशक्त बालकों को सीखने हेतु सामाजि विचार धाराओं को परिवर्तित करना चाहिए जिससे सामान्य बालकों की तरह वह कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सकें।

2) **संस्थारहित शिक्षा (Deinstitutionalised Education)**–संस्था रहित शिक्षा ऐस प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक बालकों तथा छात्रों की सीमाओं को कम क दिया जाता है जो अपने विद्यालय में आवासीय परिसर में शिक्षा ग्रहण करते हैं उ शिक्षा ग्रहण करने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन्हें विद्यालय परिसर आवासीय भवनों में शिक्षा ग्रहण करने की स्वतन्त्रता होती है जिसमें बालक स्वत होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं अर्थात् संस्थारहित शिक्षा प्रक्रिया अधिक–से–अधि प्रतिभाशाली बालकों, सामान्य बालकों तथा मन्दबुद्धि छात्रों के बीच की सीमाओं समाप्त कर आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने एवं उन्हें जनसाधारण के म शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है।

3) **शिक्षा की मुख्य धारा (Mainstream of Education)**–शिक्षा की मुख्य धारा प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन–प्रतिदिन

Scanned by TapScanner

शिक्षा के माध्यम से आपस में सम्बन्धित रखते हैं अर्थात् इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालक, युवक तथा छात्र सीमाओं को समाप्त करके आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें विशिष्ट बालक एवं समाज बालक के साथ दिन–प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में सम्बन्ध रखते हैं।

समावेशन (Inclusion)–समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा–कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है, समावेशी समन्वित–पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे–धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और वे अपने आपको समाज से अलग पाते हैं। समन्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का 'कुछ भाग' जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है, उनको भी समाज से मिलाती हैं। समन्वीकरण के द्योतक हैं–

i) अपंग/अशक्त बालकों के वही अधिकार हैं जो अन्य सामान्य बालकों को दिए जाते हैं।

ii) समाज में प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों के समान अवसर हैं जो अन्य सामान्य बालकों को दिए जाते हैं।

iii) जीवन के कार्यक्षेत्र में पहुँचने के समान अवसर हैं जो अन्य सभी सामान्य नागरिक को प्रदान किए जाते हैं।

iv) विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर (समानता) के भागीदार हैं।

यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास आने से व एक–दूसरे से दूरी कम करने से प्रारम्भ होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समावेशन को बल मिलता है ।

।.1.4. समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of ।nclusive Education)

समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) **समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं**–समावेशी शिक्षा से अभिप्राय केवल विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहना नहीं है बल्कि समावेशी शिक्षा का सम्बन्ध शिक्षा ग्रहण करने योग्य सभी बालकों से है।

2) **शिक्षा एक मौलिक अधिकार**–शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप में अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य पद्धतियों में भी बालकों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है लेकिन इस अधिकार की भावना सबसे अधिक इस शिक्षा पद्धति में निहित है जिसके अन्तर्गत कोई भी स्कूल किसी भी निम्न दैहिक, मानसिक एवं आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकता है।

3) **सबके लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना**–समावेशी शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना चाहिए। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य तथा बाधित सभी बच्चों के लिए विद्यालयों में शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए न कि कुछ विशेष बालकों के लिए।

Scanned by TapScanner

4) **विभिन्नता की पहचान**—समावेशी शिक्षा बालकों की विभिन्नताओं, जैसे— शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है। विभिन्नताओं के आधार पर बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए।

5) **अभिभावक एवं समाज की भागीदारी**—समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है जिसमें माता—पिता तथा अभिभावकों को विशेष रूप से तथा समाज को सामान्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। चाहे वह नियन्त्रण—वितरण का कार्य हो या उत्तरदायित्व निर्वहन का कार्य हो। समावेशी शिक्षा में अभिभावक एवं समाज की भागीदारी का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है।

6) **विविधता कोई समस्या नहीं**—बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नताएँ इस पद्धति में कोई समस्या नहीं समझी जाती हैं। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक रूप से सम्बन्धित होने एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता बालकों को एक—दूसरे से सीखने तथा समायोजित होने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है।

7) **सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध**—समावेशी शिक्षा पद्धति में सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा विद्यालय एवं समाज में स्पष्ट एवं निकटतम शैक्षिक सम्बन्ध होता है ताकि सभी बालकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

8) **मजबूत नीतियाँ एवं नियोजन का होना**—समावेशी शिक्षा में इस शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार का रक्षण करने तथा उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर नीतियाँ मजबूत एवं स्पष्ट हैं तथा उनका नियोजन भी सफलता से किया जा रहा है।

9) **समावेशी शिक्षा पृथक्कीकरण का विरोधी है**—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ—साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण की विरोधी व्यावहारिक समाधान है।

10) **समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है**—समावेशी शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। शारीरिक रूप से अपंग बालक को उ विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, सम्प्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण कर के पश्चात् वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं।

11) **शिक्षा का समान अवसर**—इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भाँति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकें।

12) **उपयुक्त वातावरण**—यह विशिष्ट बालकों को कम प्रतिबन्धित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवनयापन क सकें।

13) **सहयोग की भावना**—यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा सम्बन्ध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है समाज में एक—दूसरे के मध्य दूरी कम करती है तथा आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है।

Scanned by TapScanner

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के कुछ अन्य विशेषताएँ दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं–

1) यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
2) यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है।
3) अपंग बालकों के जीवनयापन के स्तर को ऊँचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है।
4) शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था – विशिष्ट शिक्षण के मध्य, अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है।
5) समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता–पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है।
6) समावेशी शिक्षा–शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिए गए उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है।

1.1.5. समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र (Scope of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराती है जैसे–

1) अस्थिबाधित बालक।
2) श्रवणबाधित बालक।
3) दृष्टिबाधित अथवा एक आँख वाले बालक।
4) मानसिक मन्दित बालक जो शिक्षा के योग्य हैं।
5) विभिन्न प्रकार से अपंग बालक (श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, अस्थि अपंग आदि) इन्हें बहुबाधित भी कहते हैं।
6) अधिगम असमर्थी बालक।
7) दृष्टिहीन छात्र जिन्होंने 'ब्रेल में' पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
8) बधिर बालक जिन्होंने सम्प्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया है।

समावेशी शिक्षा क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता–पिता को समझाना, प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है।

1.1.6. समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य (Basic Objectives of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित मौलिक उद्देश्यों पर आधारित हैं–

1) **व्यक्ति के अधिकारों का विषय**–सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है, "सभी बालकों के लिए शिक्षा न कि लगभग सब के लिए।"

2) **सबके लिए शिक्षा का विद्यालय में सबके साथ**–अभिप्राय यह है कि समर्थ एवं असमर्थ बालक एक साथ सामान्य विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाए तथा सीखे ज्ञान के लिए, करने के लिए तथा एक साथ मिलकर रहने के लिए।

Scanned by TapScanner